उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-1207/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(210)-2021

लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचनासं0-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(एक) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

1) स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (तीन), (छह), (नौ) एवं (दस) में, शब्द "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्द "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे;

2) स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (सात) में, शब्द "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्द "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे;

3) स्तम्भ (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (तीन), (छह), (सात), (नौ) और (दस) के समक्ष की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(दो) क्रम संख्या 26 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (एक) में, खण्ड (ख) में, शब्द, संख्या, अंक एवं कोष्ठक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) के पश्चात् शब्द "उक्त कपड़ा और कपड़ा उत्पादों की रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर" बढ़ा दिये जायेंगे ।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव